(113)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 126–दो/1990 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–4–1990 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर, अपील प्रकरण कमांक 166/1987–88.

ओंकार पिता श्याम पटेल,
निवासी मेहराना तह0पानसेमल,
जिला खरगोन म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1–हीरालाल पिता बेडू गुजर
निवासी पानसेमल, जिला खरगोन
2–म0प्र0शासन तर्फे नायब तहसीलदार,
खेतिया तह0पानसेमल, जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/12/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–04–1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि शासकीय भूमि सर्वे कमांक 19/1 पर उसे कुऑ खोदने की अनुमति दी जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया । उद्घोषणा का प्रकाशन होने पर आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन कुएं के खोदने की अनुमति देने में उसके कुएं का पानी कम हो जायेगा । नायब

तहसीलदार द्वारा दिनांक 25–1–1988 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये अनावेदक को कुऑ खोदने की अनुमति प्रदान की गई । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–6–1988 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–4–1990 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अपील निरस्त की गई है कि आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली गई है, परन्तु इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि तहसील न्यायालय के आदेश से उसके हित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है कि तहसीलदार द्वारा प्रशासकीय आदेश जारी किये गये हैं जो कि संहिता की धारा 56 के अन्तर्गत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, जबकि तहसील न्यायालय के आदेश से आवेदक के हित प्रभावित हुये हैं, इसलिये उक्त आदेश को न्यायालयीन आदेश मान्य किया जाना चाहिये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 को कुऑ खोदने की अनुमति देने में उसके कुएं में पानी कम होने की पूर्ण संभावना है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वर्ष 1990 से लम्बित है, और वर्ष 1990 में अनावेदक कमांक 1 को कुंए खोदने की अनुमति प्रदान की गई है, इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रशासनिक आदेश पारित किया गया है, जो कि संहिता की धारा 56 के अंतर्गत आदेश की परिधि में नहीं आता है । इसको

अतिरिक्त मौके पर भी स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी होगी, क्योंकि 1990 में लगभग 26 वर्ष पूर्व कुंआ खोदने की अनुमति दी गई है, और प्रकरण में किसी प्रकार का कोई स्थगन भी किसी न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है । अतः इस निगरानी में उठाये गये वाद बिन्दु भी निरर्थक हो चुके हैं । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–04–1990 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर